भारत क्रांति सेना
(संविधान)

भाग १

(नाम , उद्देश्य , सदस्यता एंव अनिवार्यता)

अनुच्छेद १. दल का नाम " भारत क्रांति सेना " होगा।

अनुच्छेद २. " भारत क्रांति सेना " का उद्देश्य भारत के जनमानस के लिए एक सशक्त राजनैतिक विकल्प का निर्माण करना है जो भारत के संविधान निर्माताओं एवं भारत के संविधान के सपनो को साकार करने के लिए प्रतिज्ञाबध्द हो।

अनुच्छेद ३. " भारत क्रांति सेना " की सदस्यता भारतीय गणराज्य के द्वारा प्रमाणित सभी वयस्क नागरिको के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगी।

अनुच्छेद ४. " भारत क्रांति सेना " विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद , पंथ - निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।

अनुच्छेद ५. " भारत क्रांति सेना " किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

अनुच्छेद ६. " भारत क्रांति सेना " दल के सभी अंगों , पदों एवं पदाधिकारियों का नियत कालावधि पर (जो कि ३ वर्ष ६ महीने में कम से कम एक बार) तथा नियमित निर्वाचन करवाएगा।

अनुच्छेद ७. " भारत क्रांति सेना " के किसी पद या पदाधिकारी का कार्यकाल ३ वर्ष ६ महीने से अधिक नहीं हो सकता एवं किसी भी एक व्यक्ति का किसी भी पद पर ३ बार से अधिक निर्वाचन नहीं हो सकता ।

अनुच्छेद ८. " भारत क्रांति सेना " प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ५५ दिनों के भीतर " भारत निर्वाचन आयोग " को लेखा परिक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद ९. " भारत क्रांति सेना " अपने पंजीकरण के ५ वर्षो के अन्दर " भारत निर्वाचन आयोग " द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचनों में भाग लेगा।

अनुच्छेद १०. " भारत क्रांति सेना " को अपने संविधान मे किसी भी प्रकार के संशोधन को अपनी साधारण सभा के द्वारा अनुमोदित करवाना अनिवार्य होगा ।

भाग -२

(सदस्यता एवं शपथ)

अनुच्छेद ११. दल की सदस्यता भारतीय गणराज्य के द्वारा प्रमाणित सभी वयस्क नागरिको के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हे कोई शुल्क नहीं देना होगा, सिर्फ एक नियुक्ति - पत्र भरना होगा जिसमें वे चाहें तो एक रूपये की स्वैच्छिक योगदान - राशि दे सकते हैं। ऐसे सदस्य " प्राथमिक सदस्य " कहलाएंगे और " भारत क्रांति सेना " की सबसे बड़ी शाक्ति होंगे।

क्रियान्वन को सरल बनाने के लिए दल में सक्रिय सदस्य भी होंगे। दल का सक्रिय सदस्य बनने के लिए एक आवेदन करना होगा, आवेदन स्वीकार होने पर, आवेदन करने वाले प्राथमिक सदस्य सक्रिय सदस्य कहलाएंगे।

केवल सक्रिय सदस्य हीं दल के किसी भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं एवं किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। ऐसे सदस्यों पर दल के द्वारा बनाए गए सभी नियम - कानून लागू होगें।

दोनों तरह के सदस्यों के लिए अलग - अलग एक " रजिस्टर " बनाया जायेगा।

अनुच्छेद १२. दल का सक्रिय सदस्य बनने के लिए एवं किसी भी पद को धारण करने के लिए चयन, निर्वाचन इत्यादि के अलावा उन्हें दल के द्वारा निर्धारित " शपथ " लेनी होगी और उसका पालन करना होगा।

अनुच्छेद १३. त्यागपत्र, अथवा निष्कासन से दल की सदस्यता समाप्त हो जायगी।

भाग - ३

(संगठनात्मक संरचना , अंग एवम पदाधिकारी)

अनुच्छेद १४. भारतीय संविधान की " ग्राम - स्वराज " की परिकल्पना के तहत हर गाँव (शहरी क्षेत्र में वार्ड) में से एक सक्रिय सदस्य का निर्वाचन किया जायगा। उन्हें ग्रामाध्यक्ष (शहरी क्षेत्र में वार्ड - अध्यक्ष) कहा जाएगा।

ग्राम (वार्ड) के सभी " प्राथमिक सदस्य " उनका निर्वाचन करेंगे।

एक ग्राम - पंचायत (शहरी क्षेत्र में वार्ड) में आने वाले सभी ग्रामाध्यक्ष (शहरी क्षेत्र में वार्ड - अध्यक्ष) , एक ग्राम-पंचायत - अध्यक्ष(शहरी क्षेत्र में वार्ड - पंचायत - अध्यक्ष) का निर्वाचन करेंगे।

ऐसे सभी ग्राम-पंचायत - अध्यक्ष(शहरी क्षेत्र में वार्ड - पंचायत - अध्यक्ष) मिलकर मंडल - अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

एक जिले में आने वाले सभी मंडल - अध्यक्ष मिलकर एक जिलाध्यक्ष का निवार्चन करेंगे।

ऐसे सभी जिलाध्यक्ष मिलकर " राष्ट्रीय - आम - सभा " का निर्माण करेंगे। एवम " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " का निर्वाचन करेंगें।

" राष्ट्रीय- अध्यक्ष " सबसे पहले इस बात की जाँच करेंगे की " राष्ट्रीय - आम - सभा " में कम से कम एक तिहाई महिलाएं हैं कि नहीं एवम समाज के वंचित वर्गों को " राष्ट्रीय - आम - सभा " मे उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नही
जो कि

अनुसूचित जाति -	कम से कम १ ३ प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति -	कम से कम १० प्रतिशत
पिछड़ी जातियाँ -	कम से कम २८ प्रतिशत
अल्पसंख्यक समाज -	कम से कम ८ प्रतिशत
अन्य जैसे कि दिव्यांग , किन्नर संन्यासी इत्यादि -	कम से कम३ प्रतिशत

होना चाहिए।

अगर ऐसा नही है तो वे इस प्रतिनिधित्व को पूर्ण करने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया तुरन्त आरंभ करेगें जिसमें देशभर के सक्रिय सदस्य हिस्सा ले सकेगें एवम वर्तमान " राष्ट्रीय - आम - सभा " को उनके निर्वाचन का अधिकार होगा।

ऐसे सदस्यों के निर्वाचन को ५५ दिनों के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

तबतक " राष्ट्रीय-अध्यक्ष " विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, विज्ञान , सेवा मुक्त न्यायपालिका , विधायिका एवम् कार्यपालिका के सदस्य , संचार , खेल , वंचित किसान मजदूरों के लिए जीवन खपाने वाले सामाजिक लोग, भारत रत्न प्राप्त नागरिक , सेवामुक्त सैनिक इत्यादि में से अपने विवेक और स्वेच्छा से
वर्तमान " राष्ट्रीय - आम - सभा " में सदस्य मनोनित करेंग़ें। (जो कि अधिकतम वर्तमान " राष्ट्रीय - आम - सभा " की संख्या का १० प्रतिशत हो सकता है।)

इन दोनों तरीको से नवनिर्वाचित सदस्यों को भी " राष्ट्रीय - आम - सभा " में हर तरह से बराबर अधिकार प्राप्त होंगे।

इस तरह " राष्ट्रीय - आम - सभा " का निर्माण संपूर्ण हो जायेगा ।

दल की सारी शक्तियाँ " राष्ट्रीय - आम - सभा " मे निहित होंगी।

" राष्ट्रीय - आम - सभा " का कार्यकाल ३ वर्ष ६ महीने का होगा एवं कार्यकाल समाप्त होने के१० दिन पहले तक अगली " राष्ट्रीय - आम - सभा " का निर्वाचन करना अनिवार्य होगा।

उक्त सभी निर्वाचन मे एक व्यक्ति - एक पद , एक व्यक्ति - एक मत एवं गुप्त - मतदान की प्रकिया का पालन किया जायेगा।

अनुच्छेद १५.

अनुच्छेद १४ के तहत " राष्ट्रीय - आम - सभा " का निर्माण होगा ।
और दल की सारी शक्तियाँ " राष्ट्रीय - आम - सभा " मे निहित होंगी।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार " राष्ट्रीय - आम - सभा " को दल के सारे कार्य करने होंगे

जैसे कि :-

१. दल के घटक एवम अंगों का निर्माण।

२. प्रत्येक घटक एवम अंगों की शक्तियाँ एवम प्रकार्य,
सदस्यों की संख्या , नियुक्ति का तरीका एवम पदावधि इत्यादि।

३. दल के पदाधिकारियों का निर्माण।

४. प्रत्येक पदाधिकारी की शक्तियाँ एवम प्रकार्य,
सदस्यों की संख्या , नियुक्ति का तरीका एवम पदावधि इत्यादि।

५. विवादों के निपटान एवम अनुशासन के नियम।

६. कामकाज के संचालन की मूल भूत जानकारी ,
जानकारी लेने के तरीके इत्यादि।

७. निर्णय लेने की प्रकिया , बैठकें, बैठकों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या,नोटिस और निर्णय लिया जाना इत्यादि।

८. विलयन , विभाजन और विघटन की प्रक्रिया इत्यादि।

९. दल के झंडे, नियुक्ति पत्र, शपथ- पत्र का प्रारूप इत्यादि ।

१०.और भी जो दल के लिए जरूरी हो।

अनुच्छेद १६. हर ६ महिने में " राष्ट्रीय - आम - सभा " का एक बार मिलना अनिवार्य होगा। इसे " राष्ट्रीय - अधिवेशन " कहा जाएगा और इसका आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद १७. " राष्ट्रीय - आम - सभा " एक " चुनाव आयोग " का निर्माण करेगी जिसका काम दल के सारे चुनावों का संचालन एवम निर्वाचन करना होगा।

" भारत निर्वाचन आयोग " की कार्यशैली एवम कार्यप्रणाली का अनुकरण किया जाना चाहिए।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार दल के सारे कार्य करने होंगे।

अनुच्छेद १८. " राष्ट्रीय - आम - सभा " एक " अनुशासन - समिति " का निर्माण करेगी जिसका काम दल के विवादों का निपटान एवम अनुशासन के नियम बनाना एवम पालन करवाना तथा दोषियों को दल के नियमानुसार दंडित करना होगा।

कार्यो की सरलता के लिए राज्य , जिला एवम मंडल स्तर पे भी इसका निर्माण किया जाना चाहिए।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार दल के सारे कार्य करने होंगे।

अनुच्छेद १९. " राष्ट्रीय - आम - सभा " एक " कोष " एवम एक " कोषाध्यक्ष
का निर्माण करेगी जो ५ स्तर पर होगा।

१. " राष्ट्रीय कोष "
२. " राज्य - स्तरीय कोष "
३. " जिला - स्तरीय कोष "
४. " मंडल - स्तरीय कोष "
५. " ग्राम - पंचायत - स्तरीय कोष "

इनका काम दल की राजनीतिक गतिविधिय़ों के लिए दल के नियमानुसार एवम " राष्ट्रीय अध्यक्ष " के आदेशानुसार

" लोक- सहायता " से संसाधन संग्रह करना एवम खर्च करना

संग्रह एवम खर्च का लेखा - जोखा रखना

लेखों का प्रोत्साहन प्रणाली में अनुरक्षण करना

एवम

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल के लेखा - परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेख़ों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के ४ महीने के अन्दर " भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार दल के सारे कार्य करने होंगे।

" कोषाध्यक्ष " के काम से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में " राष्ट्रीय - आम - सभा " अगले " राष्ट्रीय - अधिवेशन " में सामान्य बहुमत से उन्हें पदमुक्त कर बचे हुए कार्यकाल के लिए नए " कोषाध्यक्ष " का निर्वाचन करेगी।

अनुच्छेद २०. अनुच्छेद १४ के तहत " राष्ट्रीय-अध्यक्ष " निर्वाचित होंगे।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " को दल के सारे कार्य करने होंगे।

दल की सारी कार्यकारी (कार्यपालिका) शक्तियाँ " राष्ट्रीय-अध्यक्ष " में निहित होंगी।

दल के लिए जरूरी सभी कार्यकारी अंगों एवम पदों का निर्माण वे अपने विवेक और स्वेच्छा से करेंगे।

उनके द्वारा बनाए गए सभी नीति , नियम , निर्णय एवम आदेश दल के सभी सदस्यों को मान्य होंगे और उनका पालन करना सभी सदस्यों का कर्तव्य होगा।

" राष्ट्रीय-अध्यक्ष " को भारत गणराज्य का कोई भी पद (देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा) धारण करना वर्जित होगा ।

देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना , भारतीय जनमानस की इच्छा और अकांक्षा के बिना संभव नही और आम भारतीय जनमानस की इच्छा और अकांक्षा का सम्मान करना दल का प्रथम कर्तव्य है।

देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना सम्मान और गौरव की बात है और इससे किसी को वंचित करना अन्याय होगा।

क्योंकि दल की सारी शक्तियाँ अनुच्छेद१४ के तहत " राष्ट्रीय - आम - सभा " मे निहित है इसलिए " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " " राष्ट्रीय - आम - सभा " के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

अनुच्छेद २१. अनुच्छेद १६ के तहत आयोजित " राष्ट्रीय - अधिवेशन " में " राष्ट्रीय - आम - सभा " अगर " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " के कार्यो से संतुष्ट नहीं है तो एक - चौथाई सदस्य की प्रस्तावना से उनके खिलाफ " महाभियोग " का प्रस्ताव लायेगी। इस " महाभियोग " से बचने के लिए " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " को कम से कम ४० प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे।

दल का ये एकमात्र ऐसा चुनाव होगा जिसमें खुला मतदान होगा।

" राष्ट्रीय - अध्यक्ष " को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा।

महाभियोग पारित होने की स्थिति में " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " उसी क्षण अपना पद रिक्त करेंगे

और " राष्ट्रीय - आम - सभा " तुरंत बचे हुए कार्यकाल के लिए नए " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " का निर्वाचन करेगी।

सामान्य परिस्थिति में " राष्ट्रीय - आम - सभा " बीते हुए ६ महीने के दौरान " राष्ट्रीय - अध्यक्ष " के कार्यो की समीक्षा करेगी एवम उनके दारा बनाए नीति एवम नियमों को सामान्य बहुमत से पारित करेगी। पारित नहीं होने वाले नीति - नियम उसी क्षण से समाप्त हो जायेंगे।

अनुच्छेद २२. " राष्ट्रीय - आम - सभा " एक " राष्ट्रीय महासचिव " का निर्वाचन करेगी ।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार " राष्ट्रीय - महासचिव " को दल के सारे कार्य करने होंगे ।

दल के संचार , संप्रेषण , प्रचार - प्रसार इत्यादि " राष्ट्रीय महासचिव " की जिम्मेवारी होगी ।

इन कार्यो के लिए आवश्यक अंगों , पदों , तरीकों इत्यादि के लिए नियम और कार्यप्रणाली बनाना उनका कर्तव्य होगा ।

" राष्ट्रीय - अध्यक्ष " का काम सरल बनाना , उनके आदेश -दिशानिर्देश का पालन करना और जन - जन तक पहुँचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी ।

" राष्ट्रीय महासचिव " के काम से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में " राष्ट्रीय - आम - सभा " अगले " राष्ट्रीय - अधिवेशन " में सामान्य बहुमत से उन्हें पदमुक्त कर बचे हुए कार्यकाल के लिए नए राष्ट्रीय महासचिव का निर्वाचन करेगी ।

भाग-४

(संविधान में संशोधन)

अनुच्छेद २३. दल के संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद १४ के तहत गठित " राष्ट्रीय - आम - सभा " के पास होगा।

निर्वाचित एवम मनोनित सभी सदस्यों के नियुक्ति के बाद अनुच्छेद १६ के तहत बुलाए जाने वाले किसी भी " राष्ट्रीय - अधिवेशन " में २|३ बहुमत (संपूर्ण " राष्ट्रीय - आम - सभा " का) से दल के संविधान में संशोधन किया जा सकेगा।

" भारत के संविधान " एवं " भारतीय चुनाव आयोग " के दिशा-निर्देश के अनुसार दल के संविधान में संशोधन करना होगा।

भाग-५

(प्राथमिक सदस्य और उनके कर्तव्य)

अनुच्छेद २४. भारत के संविधान निर्माताओं एवं भारत के संविधान के सपनो को साकार करने के लिए दल का निर्माण किया गया है।

अगर दल , दल का कोई अंग या पदाधिकारी अपने उद्देश्य से से भटकता है तो उन्हें सही रास्ते पर लाना एवम दंडित करना दल के प्राथमिक सदस्यो का कर्तव्य होगा।

क्योंकि अनुच्छेद १४ के तहत
ग्रामाध्यक्ष (शहरी क्षेत्र में वार्ड - अध्यक्ष) के निर्वाचन की शाक्ति हमारे (प्राथमिक सदस्यों का समूह) पास है ,

जरूरत पड़ने पर अगले चुनाव में हम ग्रामाध्यक्ष बदल देंगे और उनके माध्यम से हम संपूर्ण " राष्ट्रीय - आम - सभा " को बदल देंगे।

अगर और जरूरत पड़ी तो हम " सक्रिय सदस्य " बनेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और भारत के संविधान निर्माताओं एवं भारत के संविधान के सपनो को पूरा करेंगे।

और इसी कारण " प्राथमिक - सदस्य " हीं
" भारत क्रांति सेना " की सबसे बड़ी शक्ति होंगे।

जय हिन्द !

वन्दे मातरम !